बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–4/निदे0–छात्रवृत्ति(विविध)–181–10/2010– 282

संकल्प

पटना, दिनांक– 11-2-2011

विषयः– अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित छात्रवृत्ति के दरों में दिनांक–1/4/2011 से संशोधित दर की स्वीकृति।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग– I से IV, वर्ग– V से VI, तथावर्ग–VII से X में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कमशः 15/– रू0, 30/–रू0, एवं 55/– प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही मुशहर/ भुंइया छात्रवृत्ति योजना के तहत् वर्ग–I से VI के लिए 30/–रू0 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

इसके अलावा तकनीकि छात्रवृत्ति वर्ग– I से X तक (150/–रू0 प्रति माह 10 माह के लिए), छात्रावासी छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं के लिए (80/– प्रति माह 12 माह के लिए), कोच एवं खिलाड़ी के लिए, कीड़ा छात्रवृत्ति (200/– रू0 प्रति माह 6 माह के लिए) दी जाती है ।

2– छात्रवृत्ति के ये दर अंतिम वर्ष– 1998–99 में संशोधित किया गया था। लगातार बढ़ती मुद्रस्फीति की दर एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के छीजन दर को देखते हुए तथा इस वर्ग के छात्र/छात्राओं को पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने के लिए निम्न तालिका के कॉलम–4 के अनुसार छात्रवृत्ति के दरों में संशोधन किया जाता है। छात्रवृत्ति के संशोधित दर दिनांक– 01.4.2011 से प्रभावि होंगेः–

क्र0	योजना का नाम	वर्तमान दर (प्रति माह 12 माह के लिए)	दिनांक–01/4/2011 से संशोधित दर (प्रति माह 12 माह के लिए)
1	2	3	4
1	विद्यालय छात्रवृत्ति–वर्ग–I से IV	15/–	50/–
2	विद्यालय छात्रवृत्ति–वर्ग–V से VI	30/–	100/–
3	विद्यालय छात्रवृत्ति–वर्ग–VII से X	55/–	150/–
4	मुशहर/भुंइया छात्रवृत्ति–वर्ग–I से VI*	30/–	100/–
5	तकनीकि छात्रवृत्ति	150/– प्रति माह	500/– प्रति माह 10 माह के लिए।
6	छात्रावासी––वर्ग–I से X	80/– प्रति माह 12 माह के लिए।	250/– प्रति माह 12 माह के लिए।
7	कीड़ा छात्रवृत्ति (कोच एवं छात्र/छात्रा प्रत्येक के लिए)	200/– प्रति माह 6 माह के लिए।	700/– प्रति माह 6 माह के लिए।

*वैसे मुशहर/भूईयां छात्र/छात्रा जिन्हें मुशहर/भुंइया छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा उन्हें साधारण अनु0जाति छात्रवृत्ति देय नहीं होगा।

3– वर्ग–I से X तक सरकारी विद्यालयों, स्थायी मान्यता प्राप्त एवं स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृत्ति देय होगी। इस योजना के तहत् कोई आय सीमा नहीं होगी।

4– उपरोक्त व्यय मांग संख्या–44 के तहत् मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण" के अन्तर्गत विकलनीय है।

5– छात्रवृत्ति के इस दरों में प्रत्येक दो वर्ष में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव में योजना प्राधिकृत समिति की सहमति प्राप्त है।

6– सभी अर्हता प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बिहार राज्य के निवासी सभी छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति योजना के तहत् आच्छादित किया जायेगा।

7– छात्रवृत्ति के संशोधित दरों योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी जन प्रतिनिधियों/जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

10/2/11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 4/निदे0–छात्रवृत्ति(विविध)–181–10/2010– 282 पटना, दिनांक– 11-2-2011

प्रतिलिपि– महालेखाकार,बिहार,पटना/प्रधान सचिव,वित्त विभाग,बिहार,पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/2

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 4/निदे0–छात्रवृत्ति(विविध)–181–10/2010– 282 पटना, दिनांक– 11-2-2011

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलज़ारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियां भेजने हेतु अग्रसारित।

10/2

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 4/निदे0–छात्रवृत्ति(विविध)–181–10/2010– 282 पटना, दिनांक– 11-2-201

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

सरकार के सचिव